राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 4150/2020

पका राम मीना पुत्र श्री आदा राम जी मीना, आयु लगभग 45 वर्ष, बी/सी मीना, निवासी ग्राम लखमावा (बड़ा), तहसील शिवगंज, जिला सिरोही, राजस्थान।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, पाली।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति सुमेरपुर, जिला पाली।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री. कुलदिप सिंह सोलंकी

प्रतिवादियों के लिएः श्री मनीष टाक

श्री राजदीप सिंह चौहान

माननीय श्री जस्टिस अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>02/01/2024</u>

1. याचिकाकर्ता, एक पंचायत प्रसार अधिकारी, इस अदालत के समक्ष जिला कलेक्टर, पाली (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा पारित दिनांक 24.03.2020 (अनुलग्नक 5) के आदेश के खिलाफ व्यथित है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 न तो उसका नियुक्ति प्राधिकरण है और न ही अनुशासनात्मक प्राधिकरण है और इसलिए, विभागीय कार्यवाही लंबित रहने तक याचिकाकर्ता को सेवा से निलंबित करने के लिए विवादित आदेश पारित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है।

2. याचिका मार्च, 2020 में किसी समय दायर की गई थी और तब से लंबित है। हालाँकि, इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ (तब मामले को उपयुक्त माना था) ने 19.05.2020 दिनांकित एक आदेश पारित किया, जिसे उचित होने के कारण, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "जिस्टी मीट ऐप के माध्यम से याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री मनीष पटेल को सुना।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वह रजिस्ट्री द्वारा बताए गए दोषों को जल्द से जल्द दूर कर देगा।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता पंचायत प्रसार अधिकारी के रूप में काम कर रहा है और याचिकाकर्ता का नियुक्ति प्राधिकरण राज्य सरकार है, जबकि उसे जिला कलेक्टर, पाली द्वारा दिनांकित 24.3.2020 आदेश के अनुसार निलंबित कर दिया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि जिला कलेक्टर, पाली के पास याचिकाकर्ता को निलंबित करने का कोई अधिकार नहीं है और केवल राज्य सरकार जो उसका नियुक्ति प्राधिकरण है, उक्त शक्ति का प्रयोग कर सकती है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने एस. बी. सिविल रिट याचिका No.2265/2020 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 19.2.2020 के आदेश पर भरोसा किया है।

उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करें। नोटिसों को तीन सप्ताह के भीतर वापस किया जाता है।

इस बीच, जिला कलेक्टर, पाली द्वारा पारित 24.3.2020 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक रहेगी।"

3. उपरोक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने के आलोक में दिया गया था कि एक जिला कलेक्टर के पास विवादित आदेश पारित करने की शक्ति नहीं है।

4. इस संबंध में स्थिति को राज्य के मुख्य सचिव द्वारा पारित दो प्रशासनिक आदेशों द्वारा मजबूत किया गया है, जो सभी जिला कलेक्टरों को संबोधित हैं, जिसमें यह विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि पंचायती राज विभागों में काम करने वाले पंचायत प्रसार अधिकारी के संबंध में, न तो कोई स्थानांतरण आदेश, न ही कोई निलंबन आदेश और न ही कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही जिला कलेक्टरों द्वारा पारित/शुरू की जा सकती है। यह सक्षम नियुक्ति प्राधिकरण/विभाग पर निर्भर करता है कि वह उन अधिकारियों के लिए कानून के अनुसार ऐसी कोई भी कार्रवाई करे।

5. आज सुनवाई के दौरान, अदालत के एक प्रश्न पर, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील इस बात का खंडन नहीं करते हैं कि मुख्य सचिव ने वास्तव में राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को उपरोक्त प्रशासनिक निर्देश जारी किए थे।

6. आधार में, मेरा विचार है कि कोई भी हलफनामा दायर करने या रिट याचिका का जवाब देने के माध्यम से आगे कोई प्रतिक्रिया प्रतिवादियों की ओर से आवश्यक नहीं है।

7. पर्याप्त रूप से, मुख्य सचिव द्वारा जारी स्पष्ट प्रशासनिक निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2-जिला कलेक्टर के पास वास्तव में विभागीय कार्यवाही, यदि कोई हो, के लंबित रहने तक याचिकाकर्ता को निलंबित करने की कोई शक्ति नहीं थी।

8. केवल इसी आधार पर, 24.03.2020 (अनुलग्नक 5) दिनांकित आक्षेपित आदेश को अलग रखा गया है। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1-सक्षम नियुक्ति प्राधिकरण याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार और लागू सेवा नियमों के अनुसार कोई भी आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

9. तदनुसार याचिका का निपटारा किया जाता है।

10. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।